भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 579

उत्तर देने की तारीख 28.11.2024

आदिवासियों का उत्थान

579. डॉ. नामदेव किरसान:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार का जनजातीय लोगों को और देश के जनजातीय क्षेत्रों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनकी शिक्षा और कल्याण हेतु कोई विशेष कार्य योजना तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग): जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में नवोदय विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018-19 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई थी। नई योजना के तहत, सरकार ने 440 ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया है, 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (जनगणना 2011 के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस होगा। 288 ईएमआरएस विद्यालयों को शुरू में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के अतंर्गत वित्त पोषित किया गया था, जिन्हें नए मॉडल के अनुसार उन्नत (अपग्रेड) किया जा रहा है। तदनुसार, मंत्रालय ने देश भर में लगभग 3.5 लाख अजजा छात्रों को लाभान्वित करने के लिए कुल 728 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। आज तक, 715 स्कूल स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 264 जिलों के लगभग 1,33,929 छात्रों को लाभान्वित करते हुए देश भर में 476 ईएमआरएस के क्रियाशील होने की सूचना दी गई है।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के बीच बुनियादी और उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाएं लागू कर रहा है:-

i) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (कक्षा IX तथा X):
ii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा XI और उससे ऊपर):
iii) अजजा छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (पहले शीर्ष श्रेणी छात्रवृत्ति योजना के रूप में जानी जाती थी): प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, कानून आदि जैसे पेशेवर क्षेत्रों में 265 शीर्ष श्रेणी के सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

iv. अजजा छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना: भारत में एम.फिल या पीएचडी करने के लिए मेधावी अजजा छात्रों को छात्रवृत्ति

v) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति: विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी अनुसूचित जनजाति (अजजा) छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। उपर्युक्त योजना के अतिरिक्त सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को 79,156 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: 56,333 करोड़ रुपये और राज्य हिस्सा: 22,823 करोड़ रुपये) के कुल परिव्यय के साथ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) योजना भी शुरू की गई। यह अभियान 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सभी जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी ब्लॉकों में फैले 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभान्वित करते हुए लगभग 63,843 गांवों को कवर करेगा। डीएजेजीयूए का लक्ष्य शिक्षा क्षेत्र सहित सामाजिक बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण अंतरों को भरना है। इस योजना के तहत स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार जनजातीय बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुँच को आसान बनाने हेतु 1000 छात्रावासों का निर्माण करेगा। इसके अतिरिक्त, डीएजेजीयूए के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय बच्चों के लिए राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे आश्रम विद्यालयों के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए केंद्रीय सहायता के साथ राज्यों की सहायता करेगा।

इसके अलावा, स्कूली शिक्षा के लिए एक व्यापक कार्यक्रम, समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2,94,283.04 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें 1,85,398.32 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा (2021-2026) शामिल है जिसका विशेष जोर स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को पाटने पर है। यह योजना नामांकन, प्रतिधारण और लैंगिक समानता के विभिन्न संकेतकों पर प्रतिकूल प्रदर्शन के साथ-साथ अजा, अजजा और अल्पसंख्यक समुदायों की सघनता के आधार पर पहचाने गए विशेष केन्द्रित (फोकस) जिलों (एसएफडी) पर भी ध्यान केंद्रित करती है। 25% से अधिक अजजा आबादी वाले कुल 109 अजजा एसएफडी की पहचान की गई है।

इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय, नवोदय विद्यालय सोसाइटी में, देश के अनुसूचित जनजाति (अजजा) बहुल जिलों के लिए 10 विशेष जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। संबंधित जिले में वास्तविक जनसंख्या के अनुसार अजा और अजजा के लिए आरक्षण का प्रावधान है, जो न्यूनतम राष्ट्रीय औसत के अधीन है। 31.03.2024 तक कुल **58,536 अजजा** छात्रों को एनवीएस के रोल पर होने की सूचना है।

*****